प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
620, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

सेवा में,

(1)आहरण वितरण अधिकारी,मुख्यालय
(2) जिलाधिकारी–अमेठी,गोण्डा,बहराइच,कासगंज एवं बिजनौर

पत्रांक : 830 / अ0सं0क0नि0–631 / लेखा / मल्टी0सें0प्ला0 / 2020–2021 दिनांक 24 जुलाई 2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2020–21 में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर नियुक्ति के उपरान्त मानदेय / टी0ए0,डी0ए0 पर आने वाले व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत चयनित 48 जनपदों के 145 अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर नियुक्ति के उपरान्त मानदेय / टी0ए0,डी0ए0 पर व्यय हेतु अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 58 / 2020 / 617 / बावन–1–2020–01(98) / 2013 टी0सी0 दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि रू0 3,02,71,657 / (रू0 तीन करोड़ दो लाख इकहत्तर हजार छः सौ सत्तावन मात्र) मात्र में से संलग्न सूची के अनुसार आपके जनपद के नाम के सममुख अंकित धनराशि आप के निवर्तन पर शासनादेश दिनांक 23 जुलाई 2020 में निहित शर्तों ,प्रतिबन्धो एवं निर्देशों के अतिरिक्त निम्नाानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखा जाता है ।

1. जनपद के नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ–3 उल्लिखित फैसिलीटेटर की संख्या जो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत फैसिलीटेर के मानदेय / टी0ए0,डी0ए0 के भुगतान हेतु स्तमभ–5 में एवं आहरण वितरण अधिकारी को स्तम्भ–5 में आवंटित धनराशि सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा जनपदों के विभिन्न विकास खण्डों में तैनात किये गये फैलिीटेटर के मानदेय /टी0.ए0,डी0ए0 के भुगतान हेतु स्तम्भ–6 में अब तक कुल धनराशि का आवंटन किया गया है।
2. उक्त धनराशि के व्यय हेतु भारत साकार एवं वित्त विभाग / शासन के संगत शासनादेशों / नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. धनराशि के व्यय हेतु शासनादेश संख्या–58 / 2020 / 617 / बावन–1–2020–01(98) / 2013 टी0सी0 दिनांक 23 जुलाई, 2020 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. यह भी ध्यान रखा जाये कि धनराशि का आवंटन ही अपने आप में व्यय करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। उसके लिए नियमों में जहॉ भी आवश्यक हो, वॉछित स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जाये।
5. कोषागार से आहरित धनराशि का निर्धारित प्रारूप (बी0एम0–8) पर कोषागार वाउचर संख्या सहित विवरण निदेशालय के लेखानुभाग को यथा–समय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
6. धनराशि का व्यय करने के पश्चात उपभोग प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–2021 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 48 के अधीन लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –02–समाज कल्याण–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0104–अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंन्ट डिस्टिंक्ट प्लान के अनतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में फैसिलीटेटर की नियुक्ति–16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामें डाला जाएगा

(जे0पी0 सिंह)
निदेशक

पत्रांक व दिनांक उपर्युक्त ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2–महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3– प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण. विभाग, अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
4–प्रमुख सचिव नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ।
5–मुख्य कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
7– मुख्य विकास अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी , सबन्धित जनपद को सूचनार्थ प्रेषित।
8–आहरण वितरण अधिकारी,/बेव अधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ
9–लेखानुभाग, निदेशालय की गार्ड फाइल हेतु ।

(आशीष आनन्द)
वित्त एवं लेखाधिकारी

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0

पत्रांक: 830 /अ0सं0क0नि0–631/लेखा/एम0एस0डी0पी0/2020–21

दिनांक: 24 जुलाई , 2020 का संलग्नक

मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत 48 जनपदों के विभिन्न विकास खण्डों में

ब्लाक लेबिल फैसिलेटर की तैनाती के उपरान्त उन पर आने वाले व्यय हेतु धनराशि का वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटन

(धनराशियॉ हजार रूपये में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम जिस जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर धनराशि रखी जा रही है	विकास खण्ड की संख्या	गत आवंटन का योग	वर्तमान आवंटित धनराशि	कुल आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय		0.000	28027.657	28027.657
1	बिजनौर	1	0.000	204.000	204.000
2	अमेठी	4	0.000	816.000	816.000
3	बहराइच	2	0.000	408.000	408.000
4	गोंडा	3	0.000	612.000	612.000
5	कासगंज	1	0.000	204.000	204.000
6	कुल योग	11	0.000	30271.657	30271.657

(रूपये तीन करोड़ दो लाख इकहत्तर हजार छः सौ सत्तावन मात्र)

(आशीष आनन्द)

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Object Wise Report

Close Window | Print

PDF Generation Instructions

Allotment Object Wise Report

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय

अनुदान संख्या: 48 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
लेखाशीर्षक: 2235028000104 - एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में फैसिलिटेटर की नियुक्ति(के.100/रा.0-के.)
मानक मद: 16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान **वित्तीय वर्ष:** 2020-2021 **(धनराशि रुपये में)**

आवंटन आदेश संख्या	आवंटन तिथि	कोषागार / अधिकारी	आवंटन
001-830	24/07/2020	12 - बिजनौर - 4183 - 01 - जिलाधिकारी	204000
001-830	24/07/2020	50 - गोण्डा - 4183 - 01 - जिलाधिकारी	612000
001-830	24/07/2020	51 - बहराइच - 4183 - 01 - जिलाधिकारी	408000
001-830	24/07/2020	60 - जवाहर भवन, लखनऊ - 4137 - 01 - निदेशक-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय	28027657
001-830	24/07/2020	88 - कांसगंज - 4183 - 01 - जिलाधिकारी	204000
001-830	24/07/2020	89 - अमेठी - 4183 - 01 - जिलाधिकारी	816000
योग :			**30271657**

(आशीष आनंद)
वित्त एवं लेखाधिकारी